फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री चॉद मौहम्म्द आत्मज श्री जमाल जी मंसुरी निवासी जीतावास, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द(राज0)।

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 32/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से जरिये क्रमांकः/सूचना का अधिकार /2024/ 699 दिनांक 03.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय हाजा तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पूर्व में अपीलार्थी को कई बार समझाईस किये जाने के बावजूद भी रिकॉर्ड कि अनुपलब्धता की वास्तविकता स्वीकार नहीं किये जाने पर कार्यालय हाज द्वारा अपीलार्थी को साथ में रखते हुए कार्यालय के स्टाफ के साथ रिकार्ड रूम में पत्रावली 23/78 तलाश करवायी गयी थी। अपीलार्थी के सामने रिकार्ड रूम में उपलब्धता सम्पूर्ण रिकार्ड देखा जाने के पश्चात भी उक्त पत्रावली कार्यालय के रिकार्ड में दस्तीयाब नहीं होना जाहिर आया। अपीलार्थी स्वयं पत्रावली रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं होने से सहमत होकर वाकिब है। चूंकी अपीलार्थी स्वयं द्वारा भी रिकार्ड/पत्रावली ढूंढने में कार्यालय के स्टाफ का सहयोग किया जाकर हाथोहाथ रिकार्ड/पत्रावली संभालने का कार्य किया गया था। अपीलार्थी श्री चॉद मौहम्मद पिता जमाल जी मंसुरी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर की गयी अपील में यह तथ्य प्रकट किए गए कि मिसल नं0 23/78 दिनांक 26.07.1978 मौजा जीतावास की आराजी सं0 1672 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा श्री जमाल जी पिता लाल मुसलमान के खातेदारी से कम कर सिचाई विभाग की नहर कपासन फीडर के नाम इन्द्राज करने की स्वीकृति एवं 3.29 पै. हासिल माफी के आदेश व पटवार हल्का रेलमगरा को प्रतिलिपि व टी.आर.ए. कार्यालय हाजा के रिकॉर्ड रूम में 23/78 दस्तायाब नहीं होने की सूचना पत्र क्रमांक/आरटीआई/2024/646 दिनांक	

12.02.2024 से उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग वर्ष 2018 में सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत अपील संख्या 5293/2018 प्रस्तुत की गयी थी। जो कि माननीय न्यायालय को गलत तथ्य प्रकट करने के प्रकाश में खारिज हुई थी। अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग को गुमराह करके उपरोक्त मिसल संख्या 23/78 दिनांक 26.07.1978 के बारे में पुनः अपील संख्या 100073/2022 दायर की गयी जो माननीय न्यायालय को गलत तथ्य प्रकट करने के प्रकाश में खारिज हुई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही मिसल संख्या 23/78 दिनांक 26.07.1978 की प्रमाणित प्रति, मूल आदेश कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती है। इस प्रकरण की पूर्व में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती है। इस प्रकरणकीय पूर्व में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग में अपील संख्या 100073/2022, 5293/2018 से अपील की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है उक्त मिसल की मूल प्रति कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी अपीलार्थी को पहले से ही जानकारी है। अपीलार्थी के पास मिसल की फोटोप्रति कहां से मिली जिसकी जानकारी कार्यालय हाजा को नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राज्य सूचना आयोग में अपील संख्या 100073/2022, 5293/2018 से पूर्व में अपील की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी तथा उक्त मिसल की मूल प्रति तहसीलदार रेलमगरा के कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी अपीलार्थी को पहले से हैं। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को निदेर्शित किया जाता है कि उक्त मिसल के संबंध में पुलिस स्टेशन रेलमगरा में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा नियमानुसार कार्यवाही करे। अतः उक्त प्रकरण निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)